



Neutral Citation No. 2026:AHC:21352

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 210/2026

काले खान

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

आशीष राय ओम प्रकाश राय

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता राज्य-प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और पटल पर मौजूद अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"(ए) परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें चकबंदी अधिकारी को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता के दिनांक 12.01.2024 के आवेदन पर निर्णय ले और साथ ही इस प्रश्न का भी निर्णय करे कि क्या याचिकाकर्ता की भूमि चकबंदी कार्यवाही के अंतर्गत आती है या नहीं।

(ब) परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वह उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 9 के (2) के तहत मुकदमा संख्या 580 का निर्णय विधि के अनुसार करे। अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।"

3. यह निवेदन किया गया है कि चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2025 को पारित रिमांड आदेश के अनुसरण में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 9 के (2) के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि विपक्षी पक्ष उपस्थित हो चुका है और मुकदमा अंतिम निर्णय के लिए तैयार है तथापि इसका शीघ्रता से निर्णय करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

4. माननीय स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि ऊपर बताया गया है इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा इसलिए यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है। ऐसा करते समय न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है बल्कि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चकबंदी अधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 4 जिनके समक्ष उपर्युक्त मुकदमा निस्तारण हेतु लंबित है को यह निर्देश देता है कि वे कानून के अनुसार इस मामले का शीघ्रता से निर्णय करें। यह निर्णय यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो तो इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

6. उपर्युक्त निर्देश के साथ वर्तमान आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

30 जनवरी 2026

विनय

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"